

अमाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

ਸਂ. 234] No. 234] नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 2, 2014/वैशाख 12, 1936

NEW DELHI, FRIDAY, MAY 2, 2014/VAISAKHA 12, 1936

उपराष्ट्रपति सचिवालय

अधिसूचना

नई दिल्ली. 27 मार्च. 2014

सा.का.नि. 306(अ).— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और उपराष्ट्रपति सचिवालय (भर्ती और सेवा की शर्तें) नियम, 1966 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, उपराष्ट्रपति सचिवालय में निम्नलिखित पदों पर भर्ती की पद्धत्ति और सेवा की शर्तों का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ : (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम उपराष्ट्रपति सचिवालय (भर्ती और सेवा की शर्तें) नियम, 2014 है ।
 - (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. परिभाषाएं : (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -
- (क) "नियुक्ति प्राधिकारी" से नियम 5 में विनिर्दिष्ट भर्ती की पद्धित किसी भी माध्यम से नियम 4 में विनिर्दिष्ट अनुसार सचिवालय में पदों के वर्ग या वर्गों पर नियुक्त व्यक्तियों की शक्ति के साथ निहित प्राधिकारी अभिप्रेत है।
- (ख) "प्रतिनियुक्ति" से सचिवालय से बाहर के किसी कार्यालय का सचिवालय में किसी अधिकारी की सेवाओं का अस्थायी स्थानातंरण और इसके विपर्ययेन जहां केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अधीन अंतरण की शर्तें विनियमित की जाती हों, अभिप्रेत है।
- (ग) "अधिकारी" से सचिवालय के काडर में नियक्ति या धारित व्यक्ति अभिप्रेत है।
- (घ) "अनुसूची" से इन नियमों से संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है।

1846 GI/2014 (1)

- (ड.) "सचिवालय" से उपराष्ट्रपति सचिवालय अभिप्रेत है।
- (च) "उपराष्ट्रपति" से भारत का उपराष्ट्रपति अभिप्रेत है।
- 3. पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण केन्द्रीय सरकार में उनकी समतुल्य पंक्ति, उनका वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वे होंगे जो इससे उपाबद्ध अनुसूची (1) से अनुसूची (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. नियुक्ति प्राधिकारी -

- (1) उपराष्ट्रपति द्वारा अनुसूची-l और अनुसूची ll में विनिर्दिष्ट समूह "क" (राजपत्रित) के सभी पदों पर नियुक्ति की जाएगी।
- (2) उपराष्ट्रपति के सचिव द्वारा अनुसूची-I में विनिर्दिष्ट समूह "ख" (राजपत्रित और अराजपत्रित) और समूह "ग" के सभी पदों पर नियुक्ति की जाएगी।
- **5. भर्ती की पद्धित, आयु सीमा, अर्हताएं आदि** भर्ती की पद्धित, आयु सीमा, अर्हताए और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो अनुसूची -V में विनिर्दिष्ट हैं।
- 6. व्यावृत्ति इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों, अन्य पिछडे वर्गों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

7. निरर्हता - वह व्यक्ति

- (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या
- (ख) जिसने अपने पित या अपनी पित्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परंतु यदि उपराष्ट्रपति का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा।

- 8. सेवा की शर्तें (क) साधारण ऐसे अधिकारी की सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले उन सभी विषयों की बाबत जिनके लिए इन नियमों में कोई उपबंध नहीं किया गया है तो ऐसे अधिकारियों को ऐसे नियमों द्वारा शासित किया जाएगा जो केन्द्रीय सचिवालय में तत्स्थानी वेतनमान में पद और रैंक धारण करने वाले अधिकारियों पर लागू होते हैं।
- (ख) आचरण प्रत्येक अधिकारी, समय-समय पर यथासंशोधित, केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण नियम), 1964 या जो उस सेवा को लागू होता है, जिसका वह सदस्य है ऐसे अन्य तत्स्थानी नियमों द्वारा शासित होंगे।
- (ग) अनुशासन और नियंत्रण प्रत्येक अधिकारी, समय-समय पर यथासंशोधित केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील नियम), 1965 या जो सेवा को लागू होता है जिसका वह सदस्य है, ऐसे अन्य तत्स्थानी नियमों द्वारा शासित होंगे और वह:-
 - (i) जहां तक समूह "क" के पदों का संबंध है उपराष्ट्रपति और
 - (ii) जहां तक समूह "ख" और समूह "ग" के पदों का संबंध है उपराष्ट्रपति के सचिव के अध्यधीन होंगे।
- 9. विनियमन केन्द्रीय सरकार, उन सभी मामलों के लिए उपबंध करेगी जिनके लिए इन नियमों को प्रभावी बनाने के प्रयोजन के लिए उपबंध करना आवश्यक या समीचीन हो जो इन नियमों से अनसंगत हो, विनियम बना सकेगी।
- 10. शिथिल करने की शक्ति जहां उपराष्ट्रपित की यह राय है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के अधिकारियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगा।

अनुसूची - । (नियम 3 देखें)

प्राधिकृत स	थाया	क्षमता

क्रम सं.	पद का नाम	पदों की संख्या
	समूह "क" राजपत्रि	त
1.	निदेशक	1
2.	अवर सचिव	2
	समूह "ख" राजपि	नेत ्
3.	अनुभाग अधिकारी	3
	समूह ख अराजपत्रित	
4.	सहायक	3
5.	सचिव के निजी सहायक	1
6.	कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक	1
7.	स्वागत अधिकारी	1
	समूह "ग"	
8.	उच्च श्रेणी लिपिक	2
9.	दूरभाष प्रचालक	3
10.	अवर श्रेणी लिपिक	6
11.	स्टाफ कार चालक (विशेष श्रेणी)	1
12.	स्टाफ कार चालक (श्रेणी-I)	3
13.	स्टाफ कार चालक (श्रेणी-II)	
14.	स्टाफ कार चालक (साधारण श्रेणी)	3
15.	सवार हरकारा	1
16.	बहुकार्य कर्मचारिवृंद	12
	घरेलू कर्मचारिवृंद्व	
17.	मुख्य कुक	1
18.	हैड कुक	1
19.	बैरा	4
20.	मसालची	2

अनुसूची - II (नियम 3 देखें)

प्राधिकृत निजी कर्मचारिवृंद्व क्षमता

क्रम सं.	पद का नाम	पदों की संख्या
1	2	3
	समूह "क" राजपत्रित	
1.	उपराष्ट्रपति के सचिव	1
2.	उपराष्ट्रपति के निजी सचिव	1
3.	उपराष्ट्रपति के विशेष कार्य अधिकारी	1

	समूह "ख" राजपत्रित	
1.	उपराष्ट्रपति के सहायक निजी सचिव	1
	समूह "ग"	
2.	निजी परिचर	1

अनुसूची - III

(नियम 3 देखें)

सचिवालय में विभिन्न ग्रेडों के साथ वेतनमान

क्रम सं.	पद का नाम	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान
	समूह "क" राज	जपत्रित
1.	उपराष्ट्रपति के सचिव	वे.बै. 4- 37400-67000 रु.+10000 रु.
2.	निदेशक	वे.बै. 4- 37400-67000 रु.+8700 रु.
3.	भारत के उपराष्ट्रपति के विशेष ड्यूटी अधिकारी	वे.बै. 3- 15600-39000 रु.+7600 रु.
4.	भारत के उपराष्ट्रपति के निजी सचिव	वे.बै. 3- 15600-39000 रु.+7600 रु.
5.	अवर सचिव	वे.बै. 3- 15600-39000 रु.+6600 रु.
	समूह "ख" राज	जपत्रित
6.	भारत के उपराष्ट्रपति के सहायक निजी सचिव	वे.बै. 3- 15600-39000 रु.+5400 रु.
7.	अनुभाग अधिकारी	वे.बै. 2- 9300-34800 रु.+4800 रु.
		4 वर्ष सेवा पूरी करने के पश्चात्
		(वे.बै. 3-15600-39100 रु. में +ग्रेड वेतन 5400 रु.)
	समूह "ख" राज	जपत्रित
8.	सहायक	वे.बै. 2- 9300-34800 रु.+4600 रु.
9.	सचिव के निजी सहायक	वे.बै. 2- 9300-34800 रु.+4200 रु.
10.	कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक	वे.बै. 2- 9300-34800 रु.+4200 रु.
11.	स्वागत अधिकारी	वे.बै. 2- 9300-34800 रु.+4200 रु.
	समूह "ग	T*
12.	उच्च श्रेणी लिपिक	वे.बै. 1- 5200-20200 रु.+2400 रु.
13.	दूरभाष प्रचालक	वे.बै. 1- 5200-20200 रु.+2000 रु.
14.	अवर श्रेणी लिपिक	वे.बै. 1- 5200-20200 रु.+1900 रु.
15.	स्टाफ कार चालक (विशेष श्रेणी) वे.बै. 2- 9300-34800 रु.+4200 रु.	
16.	स्टाफ कार चालक (श्रेणी-I)	वे.बै. 1- 5200-20200 रु.+2800 रु.
17.	स्टाफ कार चालक (श्रेणी-II)	वे.बै. 1- 5200-20200 रु.+2400 रु.
18.	स्टाफ कार चालक (साधारण श्रेणी)	वे.बै. 1- 5200-20200 रु.+1900 रु.
19.	सवार हरकारा	वे.बै. 1- 5200-20200 रु.+1900 रु.
20.	बहुकार्य कर्मचारी	वे.बै. 1- 5200-20200 रु.+1800 रु.
	घरेलू कर्मचा	रिवृंद्व
21.	मुख्य कुक	वे.बै. 1- 5200-20200 रु.+2800 रु.
22.	हैड कुक	वे.बै. 1- 5200-20200 रु.+2400 रु.
23.	निजी परिचर	वे.बै. 1- 5200-20200 रु.+1900 रु.
24.	बैरा	वे.बै. 1- 5200-20200 रु.+1800 रु.
25.	मसालच <u>ी</u>	वे.बै. 1- 5200-20200 रु.+1800 रु.

अनुसूची - IV

(नियम 3 देखें)

केन्द्रीय सरकार में समकक्ष पद

क्र. सं.	उपराष्ट्रपति सचिवालय में पद का नाम	केन्द्रीय सरकार में समकक्ष पद
1.	उपराष्ट्रपति के सचिव	संयुक्त सचिव, भारत सरकार (अपर सचिव/सचिव, भारत सरकार की पंक्ति का अधिकारी द्वारा ऐसा पद धारण किया गया हो)
2.	निदेशक	निदेशक, भारत सरकार
3.	भारत के उपराष्ट्रपति के निजी सचिव	उप सचिव, भारत सरकार
4.	भारत के उपराष्ट्रपति के विशेष कार्य अधिकारी	उप सचिव, भारत सरकार
5.	अवर सचिव	अवर सचिव, भारत सरकार
6.	भारत के उपराष्ट्रपति के सहायक निजी सचिव	साधारण केन्द्रीय सेवा के समूह "ख" (राजपत्रित)
7.	अनुभाग अधिकारी	केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारी
8.	सहायक	केन्द्रीय सचिवालय सेवा में सहायक श्रेणी के अधिकारी
9.	सचिव के निजी सहायक	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "ख" (अराजपत्रित)
10.	कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "ख" (अराजपत्रित)
11.	स्वागत अधिकारी	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "ख" (अराजपत्रित)
12.	उच्च श्रेणी लिपिक	केन्द्रीय सचिवालय लिपिकिय सेवा के श्रेणी -l के अधिकारी या साधारण केन्द्रीय समूह "ग" अनुसचिवीय (अराजपत्रित)
13.	दूरभाष प्रचालक	भारत सरकार में तत्स्थानी पद
14.	अवर श्रेणी लिपिक	केन्द्रीय सचिवालय लिपिकिय सेवा के श्रेणी -II के अधिकारी या साधारण केन्द्रीय समूह "ग" अनुसचिवीय (अराजपत्रित)
15.	स्टाफ कार चालक (विशेष श्रेणी)	भारत सरकार में तत्स्थानी पद
16.	स्टाफ कार चालक (श्रेणी-I)	भारत सरकार में तत्स्थानी पद
17.	स्टाफ कार चालक (श्रेणी-II)	भारत सरकार में तत्स्थानी पद
18.	स्टाफ कार चालक (साधारण श्रेणी)	भारत सरकार में तत्स्थानी पद
19.	सवार हरकारा	भारत सरकार में तत्स्थानी पद
20.	बहुकार्य कर्मचारी	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "ग"
	घरेलू कर्मचा	रिवृं <u>द</u>
21.	मुख्य कुक/हैड कुक	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "ग"
22.	निजी परिचर	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "ग"
23.	बैरा	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "ग"
24.	मसालची साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "ग"	

अनुसूची - V [नियम 5 देखें]

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु- सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
सचिव	1* (2014) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "क"	वे. बै. 4- 37400-67000 रू.+ग्रेड वेतन 10000/-रू.	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अईताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धित: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नित द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धितयों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	उपराष्ट्रपति के विवेकानुसार। टिप्पण 1: पदधारी उपराष्ट्रपति के प्रसादपर्यन्त पद पर बना रहेगा। नियुक्ति, उपराष्ट्रपति की पदावधि तक या जब भारत के उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, तब से सह- विस्तारी आधार पर होगी। टिप्पण 2: नियुक्ति, मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के अनुमोदन से की जाती है और उसे इस संबंध में जारी आदेशों के निवंधनों के अनुसार विनियमित किया जायेगा।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां	यदि विभागीय प्रोन्नति	भर्ती करने में किन परि-स्थितियों में
जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।	समिति है, तो उसकी	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श
	संरचना	किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
ऐसे अधिकारी जो केन्द्रीय सरकार में संयुक्त सचिव या इसके ऊपर की	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।
पंक्ति में पद धारण किए हुए हैं।	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
टिप्पण: पूर्व में भारत के उपराष्ट्रपति के सचिव के पद के लिए पदधारी		
को उपराष्ट्रपति के विवेकानुसार मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति द्वारा		
भारत सरकार के अपर सचिव/सचिव के पद से उच्चतर स्तर पर नियुक्त		
किया गया है।		

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)	
भारत के 1* साधारण केन्द्रीय वेबै. 3- 15600- लागू नहीं होता लागू नहीं होता लागू नहीं निजी सचिव *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	[:] होता

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	उपराष्ट्रपति के विवेकानुसार। पदधारी उपराष्ट्रपति के प्रसादपर्यन्त पद पर बना रहेगा। नियुक्ति, उपराष्ट्रपति की पदावधि तक या जब भारत के उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है, इनमें से जो भी
		पूर्वतर हो, तब से सह-विस्तारी आधार पर होगी। (नियुक्ति, मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के अनुमोदन से की जाती है और उसे इस संबंध में जारी आदेशों के निबंधनों के अनुसार विनियमित किया जायेगा।

(11)	(12)	(13)
ऐसे अधिकारी जो केन्द्रीय सरकार में अवर सचिव या इसके ऊपर की पंक्ति में पद धारण किए हुए हैं।	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता ।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
उपराष्ट्रपति के	1*	साधारण केन्द्रीय	वे बै 3-	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
विशेष ड्यूटी	(2014)	सेवा समूह	15600-39100	होता	होता	होता
अधिकारी		"क"	रु. +ग्रेड वेतन			
	*कार्यभार के		7600 रू.			
	आधार पर					
	परिवर्तन किया					
	जा सकता है।					

(8)		(9)	(10)
लागू	नहीं	लागू नहीं होता।	उपराष्ट्रपति के विवेकानुसार।
होता।			पदधारी उपराष्ट्रपति के प्रसादपर्यन्त पद पर बना रहेगा। नियुक्ति, उपराष्ट्रपति की पदावधि
			तक या जब भारत के उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, तब से
			सह-विस्तारी आधार पर होगी। (नियुक्ति, मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के अनुमोदन से की
			ातियुक्ति, मात्रमङल को नियुक्ति सामात, कामिक आर प्राशक्षण विमाग के अनुमादन से का जाती है और उसे इस संबंध में जारी आदेशों के निबंधनों के अनुसार विनियमित किया
			जायेगा।

(11)	(12)	(13)
ऐसे अधिकारी जो केन्द्रीय सरकार में अवर सचिव या इसके ऊपर की पंक्ति में पद धारण किए हुए हैं।	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
निदेशक	1* (2014) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "क"	वे. बै. 3- 37000- 67000 रु. +ग्रेड वेतन 8700 रु.	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
	र्व ह					

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति/आमेलन
		द्वारा।

(11)	(12)	(13)
प्रोक्तति : ऐसे अवर सचिव जिन्होंने ग्रेड वेतन 6600 रू. में 10 वर्ष नियमित सेवा की है। टिप्पण 1 : जहां ऐसे किनष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नित के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे किनष्ठ व्यक्तियों सिहत, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। टिप्पण 2 : प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी। प्रतिनियुक्ति: केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी जिनके पास वैचलर डिग्री है और जिनके पास प्रशासन, स्थापना, बजट और लेखा कार्य का कम से कम पांच वर्ष का अनुभव है और:-(i) जो वेतन बैंड-4 (37400-67000 रू.)+ग्रेड वेतन 8700 रू. या समतुल्य पद (पदों) पर पदधारण किए हुए हैं या (ii) जिन्होंने वेतन बैंड 3 (15600-39100 रू.)+ग्रेड वेतन 7600 रू. में कम से कम पांच वर्ष नियमित सेवा की है। टिप्पण 1- पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति क्र लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।	(12) समूह "क" विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- (i) उपराष्ट्रपति के सचिव-अध्यक्ष (ii) संयुक्त सचिव के स्तर के भारत के उपराष्ट्रपति के विशेष ड्यूटी अधिकारी -सदस्य (iii) सचिवालय से बाहर के संयुक्त सचिव या समतुल्य पंक्ति के अधिकारी -सदस्य	(13) लागू नहीं होता।
नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
अवर सचिव	2*	साधारण केन्द्रीय	वे.बै. 3-15600-	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
सचिव	(2014)	सेवा समूह "क"	39100 रू.+ग्रेड			
			वेतन 6600 रु .			
	*कार्यभार के आधार पर					
	परिवर्तन किया जा सकता					
	है।					

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	प्रोन्नत व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।

(11)	(12)	(13)
प्रोप्ति : ऐसे अनुभाग अधिकारी जिन्होंने उस श्रेणी में छह वर्ष नियमित सेवा की है। टिप्पण 1 : जहां ऐसे किनष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोग्नित के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे किनष्ट व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नित के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। टिप्पण 2 : प्रोन्नित के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, जियमित आधार पर की गई सेवा समझी जाएगी। प्रतिनियुक्ति : केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी जो सदृश पद धारण किए हुए हैं, और जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन वैंड-2+ ग्रेड वेतन 4800 रु. में नियमित आधार पर 6 वर्ष नियमित सेवा की है और जिनके पास प्रशासन, स्थापना, वजट और लेखा कार्य का कम से कम तीन वर्ष का अनुभव है। टिप्पण 1- पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नित की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नित द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। टिप्पण 2- प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस	(12) समूह "क" विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :- (i) निदेशक, उपराष्ट्रपति सचिवालय-अध्यक्ष (ii) विशेष इ्यूटी अधिकारी या भारत के उपराष्ट्रपति के निजी सचिव -सदस्य (iii) सचिवालय से बाहर के उप सचिव या समतुल्य पंक्ति के अधिकारी -सदस्य	(13) लागू नहीं होता।

नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 3- प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 4- प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जायेगी।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
भारत के उपराष्ट्रपति के सहायक निजी सचिव	2* (2014) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "ख" (राजपत्रित)	वे. बै. 3-15600- 39100 रू. + ग्रेड वेतन 5400 रू.	अचयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	उपराष्ट्रपति के विवेकानुसार पदधारी उपराष्ट्रपति के प्रसादपर्यन्त पद पर बना रहेगा। नियुक्ति, उपराष्ट्रपति की पदावधि तक या जब भारत के उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, तब से सह-विस्तारी आधार पर होगी।

(11)	(12)	(13)
ऐसे अधिकारी जो केन्द्रीय सरकार या उपराष्ट्रपति सचिवालय में ग्रेड वेतन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता ।
4800 रू. में या इससे अधिक में पदधारण किए हुए हैं।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
अनुभाग अधिकारी	3* (2014) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "ख" (राजपत्रित)	वे.बै. 2- 9300- 34800 रू.+ग्रेड वेतन 4800/- रू.	चयन	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	(क) 66.1/3 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा; और (ख) 33.1/3 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा।
		(अ) ३३. १/३ त्रातरात त्रातानयु। त्तः/आमलन द्वारा।

(12)(11)(13)प्रोम्नति : ऐसे सहायक जिन्होंने ग्रेड वेतन 4600/-रू. में दो समूह "ख" विभागीय प्रोन्नति समिति लागू नहीं होता। वर्ष नियमित सेवा की है। (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) टिप्पण 1 : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने जिसमें निम्नलिखित होंगे :-अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए (i) निदेशक उपराष्ट्रपति सचिवालय -अध्यक्ष विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध (ii) अवर सचिव उपराष्ट्रपति सचिवालय में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा -सदस्य की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता (iii) सचिवालय से बाहर के अवर सचिव या समत्ल्य पंक्ति का कोई अधिकारी सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से. इनमें से जो भी कम -सदस्य हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। टिप्पण 2 : प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी प्रतिनियुक्ति : केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी जो सदृश पद धारण किए हए हैं, और जिन्होंने ग्रेड वेतन 4600 रु. के पद में दो वर्ष नियमित सेवा की है और जिनके पास प्रशासन, स्थापना, बजट और लेखा कार्य का अनुभव है। टिप्पण 1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनिय्क्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। टिप्पण 2: प्रतिनिय्क्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 3: प्रतिनियक्ति द्वारा नियक्ति के लिए अधिकतम आय् सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 4: प्रतिनिय्क्ति/आमेलन के आधार पर निय्क्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी

जायेगी।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
सहायक	3* (2014) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "ख" (अराजपत्रित)	वे.बै. 2- 9300- 34800 रू.+ ग्रेड वेतन 4600 रू.	चयन	30 वर्ष (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पण: आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नियत की जाएगी। (जहां भर्ती कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से नहीं की जाती है वहां आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी।)	

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों और प्रोन्नत व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।	(क) 66.2/3 प्रतिशत प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति द्वारा।
		(ख) 33.1/3 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा।

टिप्पण 5: प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए
किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख
से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित
पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार
पर की गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित
विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा
समझी जायेगी।

	1	T	T	1		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(1) कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक	(2) 1*(2014) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	(3) साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "ख" अनुसचिवीय (अराजपत्रित)	वेतन बैंड-2- 9300- 34800 रू. + ग्रेड वेतन	(5) लागू नहीं होता।	(6) 18-30 वर्ष (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पणः आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नियत की जाएगी। (जहां भर्ती कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से नहीं की जाती है वहां आयु- सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी।)	(7) आवश्यक: (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्व-विद्यालय से हिंदी या अंग्रेजी में मास्टर डिग्री या समतुल्य और साथ ही डिग्री स्तर पर हिन्दी या अंग्रेजी अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में या परीक्षा के माध्यम के रूप में रहा हो। या किसी मान्यताप्राप्त विश्व विद्यालय या समतुल्य से हिंदी या अंग्रेजी से भिन्न किसी भी विषय में मास्टर डिग्री और साथ ही डिग्री स्तर पर अंग्रेजी या हिन्दी अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में रहा हों या इन दोनों में से एक परीक्षा का माध्यम के रूप में रहा हो और दूसरा अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में रहा हो। या किसी मान्यताप्राप्त विश्व विद्यालय या समतुल्य से हिंदी या अंग्रेजी या हिन्दी माध्यम से मास्टर डिग्री और साथ ही डिग्री स्तर पर अंग्रेजी या हिन्दी माध्यम से मास्टर डिग्री और साथ ही डिग्री स्तर पर अंग्रेजी या हिन्दी अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में रहा हो; और (ii) हिन्दी से अंग्रेजी में और अंग्रेजी से हिन्दी में अनुवाद का मान्यता प्राप्त डिप्लोमा या प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के कार्यालयों में, जिनके अंतर्गत भारत सरकार के उपक्रम भी हैं, हिन्दी से अंग्रेजी में तथा अंग्रेजी से हिन्दी में अनुवाद कार्य का दो वर्ष का अनुभव हो।

			निर्दिष्ट हिन्दी से भिन्न किसी एक
			भाषा का
			ज्ञान।
			(ii) किसी मान्यता प्राप्त
			विश्वविद्यालय से हिन्दी से अंग्रेजी
			और अंग्रेजी से हिन्दी अनुवाद में
			डिग्री या डिप्लोमा।

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए	प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती
	दो वर्ष।	द्वारा।

(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्ति : केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी जो सदृश पद धारण किए	समूह "ख"	लागू नहीं होता ।
हुए हैं और जिनके पास स्तंभ (7) में सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के	विभागीय पुष्टि समिति	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
लिए अर्हता है।	(पुष्टि के संबंध में विचार करने के	
टिप्पण 1 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी	लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-	
या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित	(i) अवर सचिव, उप राष्ट्रपति	
किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया	सचिवालय -अध्यक्ष	
तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।	(ii) अनुभाग अधिकारी, उपराष्ट्रपति	
टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन	सचिवालय -सदस्य	
प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।	(iii) सचिवालय से बाहर का	
टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी	अनुभाग अधिकारी या	
अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे	समतुल्य पंक्ति का अधिकारी	
केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना	-सदस्य	
का विस्तार किया गया है, उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित		
विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी		
जायेगी।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
सचिव के निजी सहायक	1*(2014) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "ख" अनुसचिवीय (अराजपत्रित)	वे. बैं2-9300- 34800 रू.+ ग्रेड वेतन 4200 रू.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति द्वारा

(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्तिः केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी जो आशुलिपिक सेवा से संबंध	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता ।
रखते हैं और जो मूल काडर या विभाग में सदृश पद धारण किए हुए हैं।		
टिप्पण 1:- प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या		
किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य		
काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक		
नहीं होगी।		

टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुि	क्ते के लिए अधिकतम	आयु सीमा आवेदन प्राप्त
करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष	। से अधिक नहीं होगी।	

टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जायेगी।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
स्वागत अधिकारी	1* (2014) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "ख" अनुसचिवीय (अराजपत्रित)	वेतन बैं 29300-34800 रू.+ ग्रेड वेतन 4200 रू.		लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	प्रोन्नत व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।

(11)	(12)	(13)
प्रोक्तिः ऐसा उच्च श्रेणी लिपिक जिसने ग्रेड वेतन 2400 रू. में 10 वर्ष नियमित सेवा की । टिप्पण 1 : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नित के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे किनष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नित के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। टिप्पण 2 : प्रोन्नित के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी। प्रितिनियुक्ति:- केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी जो मूल काडर/विभाग में सदृश पद धारण किए हुए हैं। टिप्पण 1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नित की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।	समूह "ख" विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- (i) अवर सचिव, उप राष्ट्रपति सचिवालय -अध्यक्ष (ii) अनुभाग अधिकारी, उपराष्ट्रपति सचिवालय -सदस्य (iii) सचिवालय से बाहर का अनुभाग अधिकारी या समतुल्य पंक्ति का अधिकारी -सदस्य	लागू नहीं होता।

टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 4: प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जायेगी।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
उच्च श्रेणी लिपिक	2* (2014) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "ग" अनुसचिवीय (अराजपत्रित)	वेतन बैं1- 5200-20200 रु.+ ग्रेड वेतन 2400 रु.	अचयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा

(11)(12)(13)प्रोन्नति: ऐसा दूरभाष प्रचालक जिसने ग्रेड वेतन 2000 रु. में 5 समूह "ग" विभागीय प्रोन्नति समिति लागू नहीं होता। (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के वर्ष नियमित सेवा की हो। लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-टिप्पण 1 : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी (i) अवर सचिव, उप राष्ट्रपति सचिवालय अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार —अध्यक्ष किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी (ii) अनुभाग अधिकारी, उपराष्ट्रपति विचार किया जाएगा परंत् यह तब जब कि उनके द्वारा की गई सचिवालय —सदस्य ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के (iii) सचिवालय से बाहर का अनुभाग आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न अधिकारी या समत्ल्य पंक्ति का हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अधिकारी —सदस्य अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। टिप्पण 2: प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
दूरभाष प्रचालक	3* (2014) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "ग" अनुसचिवीय (अराजपत्रित)	वेतन बै. 1- 5200-20200 रु.+ग्रेड वेतन 2000 रु.	अचयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
अवर श्रेणी लिपिक	5*(2014) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	केन्द्रीय सेवा समूह "ग"	वेतन वै. 1 5200- 20200 रू +ग्रेड वेतन 1900 रु.		18-27 वर्ष (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए शिथिल करके 40 वर्ष तक की जा सकती है।) टिप्पण: आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नियत की जाएगी। (जहां भर्ती कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से नहीं की जाती है वहां आयु-	(i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 12वीं कक्षा या समतुल्य अर्हता। (ii) कम्प्यूटर पर अंग्रेजी में 35 श.प्र.मि. या हिन्दी में 30 श.प्र.मि. टंकण गति। अनुज्ञात समय 10 मिनट) (प्रत्येक शब्द के लिए 5 की डिप्रैशन के औसत पर 10500 केडीपीएच/ 9000 केडीपीएच/ के अनुरूप 35 श.प्र.मि. और 30 श.प्र.मि.।

		सीमा अवधारित करने के	
		लिए निर्णायक तारीख	
		आवेदन प्राप्त करने के लिए	
		नियत की गई अंतिम तारीख	
		होगी ।)	

(8) (9) (10) लागू नहीं होता सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष। (ii) कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से 85 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा। (iii) 10 प्रतिशत ग्रेड वेतन 1800 रु. में ऐसे समूह "ग" कर्मचारिवृंद में से भरी जाएंगी जिसने 12वीं कक्षा उत्तींण की या जिसके पास समतुल्य अर्हता है और जिसने विभागीय अर्हक परीक्षा के आधार पर उस श्रेणी में 3 वर्ष नियमित सेवा की है। परीक्षा के लिए पात्रता की अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष है। (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आयु 50 वर्ष)। टिप्पण: यदि खंड (ii) के अधीन उपलब्ध रिक्तियों की संख्या से अधिक कर्मचारी परीक्षा में अर्हता प्राप्त कर लेते हैं तो ऐसी अधिक संख्या वाले कर्मचारियों पर पश्चात्वर्ती वर्षों में होने वाली रिक्तियों को भरने के लिए विचार किया जाएगा जिससे कि पूर्ववर्ती परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने वाले कर्मचारियों पर पश्चात्वर्ती परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने वाले कर्मचारियों पर पश्चात्वर्ती परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने वाले कर्मचारियों पर पश्चात्वर्ती परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने वाले कर्मचारियों पर पश्चात्वर्ती परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने वाले कर्मचारियों पर पश्चात्वर्ती परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने वाले कर्मचारियों से पूर्व विचार किया जा सके। (iii) 5 प्रतिशत रिक्तियां ज्येष्ठता-सह-उपयुक्ता के आधार पर ऐसे समूह 'ग' कर्मचारियों से भरी जाएंगी जिन्होंने ग्रेड वेतन 1800/- रू. वाले पदों पर 3 वर्ष नियमित सेवा की है।		
वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष। (ii) 10 प्रतिशत ग्रेड वेतन 1800 रु. में ऐसे समूह "ग" कर्मचारिवृंद में से भरी जाएंगी जिसने 12वीं कक्षा उर्त्तीण की या जिसके पास समतुल्य अर्हता है और जिसने विभागीय अर्हक परीक्षा के आधार पर उस श्रेणी में 3 वर्ष नियमित सेवा की है। परीक्षा के लिए पात्रता की अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष है। (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आयु 50 वर्ष)। टिप्पण: यदि खंड (iii) के अधीन उपलब्ध रिक्तियों की संख्या से अधिक कर्मचारी परीक्षा में अर्हता प्राप्त कर लेते हैं तो ऐसी अधिक संख्या वाले कर्मचारियों पर पश्चात्वर्ती वर्षों में होने वाली रिक्तियों को भरने के लिए विचार किया जाएगा जिससे कि पूर्ववर्ती परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने वाले कर्मचारियों पर पश्चात्वर्ती परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने वाले कर्मचारियों से पूर्व विचार किया जा सके। (iii) 5 प्रतिशत रिक्तियां ज्येष्ठता-सह-उपयुक्ता के आधार पर ऐसे समूह 'ग' कर्मचारियों से भरी जाएंगी जिन्होंने ग्रेड वेतन 1800/- रू. वाले पदों पर 3 वर्ष नियमित सेवा	(9)	(10)
	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए	 (i) कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से 85 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा। (ii) 10 प्रतिशत ग्रेड वेतन 1800 रु. में ऐसे समूह "ग" कर्मचारिवृंद में से भरी जाएंगी जिसने 12वीं कक्षा उर्त्तीण की या जिसके पास समतुल्य अर्हता है और जिसने विभागीय अर्हक परीक्षा के आधार पर उस श्रेणी में 3 वर्ष नियमित सेवा की है। परीक्षा के लिए पात्रता की अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष है। (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आयु 50 वर्ष)। टिप्पण: यदि खंड (iii) के अधीन उपलब्ध रिक्तियों की संख्या से अधिक कर्मचारी परीक्षा में अर्हता प्राप्त कर लेते हैं तो ऐसी अधिक संख्या वाले कर्मचारियों पर पश्चात्वर्ती वर्षों में होने वाली रिक्तियों को भरने के लिए विचार किया जाएगा जिससे कि पूर्ववर्ती परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने वाले कर्मचारियों पर पश्चात्वर्ती परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने वाले कर्मचारियों पर पश्चात्वर्ती परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने वाले कर्मचारियों पर पश्चात्वर्ती परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने वाले कर्मचारियों से पूर्व विचार किया जा सके। (iii) 5 प्रतिशत रिक्तियां ज्येष्ठता-सह-उपयुक्ता के आधार पर ऐसे समूह 'ग' कर्मचारियों

(11)	(12)	(13)
(i) कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से 85 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा। (ii) 10 प्रतिशत ग्रेड वेतन 1800/-रू. में ऐसे समूह "ग" कर्मचारिवृंद में से भरी जाएंगी जिसने 12वीं कक्षा उत्तीर्ण की या जिसके पास समतुल्य अर्हता है और जिसने विभागीय अर्हक परीक्षा के आधार पर उस श्रेणी में 3 वर्ष नियमित सेवा की है। परीक्षा के लिए पात्रता की अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष है। (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आयु 50 वर्ष)। टिप्पण: यदि खंड (ii) के अधीन उपलब्ध रिक्तियों की संख्या से अधिक कर्मचारी परीक्षा में	समूह "ग" विभागीय पृष्टि समिति (पृष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्न लिखित होंगे:- (i) अवर सचिव, उप राष्ट्रपति सचिवालय -अध्यक्ष (ii) अनुभाग अधिकारी, उपराष्ट्रपति सचिवालय -सदस्य (iii) सचिवालय से बाहर का अनुभाग अधिकारी या समतुल्य पंक्ति का अधिकारी -सदस्य	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
मुख्य रसोइया	1* (2014) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "ग" अननुसचिवीय (अराजपत्रित)	वे.बै. 1- 5200- 20200 रू. +ग्रेड वेतन 2800/- रू.	अचयन	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति

(11)	(12)	(13)
प्रोक्षति या प्रतिनियुक्ति :- उपराष्ट्रपति सचिवालय में ऐसे रसोइया या केन्द्रीय/राज्य सरकार संगठनों/आई.टी. डी. सी. होटल/सशस्त्र बल मेस में सेवारत ऐसे रसोइया जिन्होंने ग्रेड वेतन 2400 रु. में पांच वर्ष नियमित सेवा की है। टिप्पण 1 : प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी। टिप्पण 2: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति के ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 4: प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 4: प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 5: प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।	(12) समूह "ग" विभागीय प्रोन्नित समिति (प्रोन्नित के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- (i) अवर सचिव, उप राष्ट्रपति सचिवालय -अध्यक्ष (ii) अनुभाग अधिकारी, उपराष्ट्रपति सचिवालय -सदस्य (iii) सचिवालय से बाहर का अनुभाग अधिकारी या समतुल्य पंक्ति का अधिकारी -सदस्य	(13)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
प्रधान रसोइया	1* (2014) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "ग" अननुसचिवीय (अराजपत्रित)	वे.बै. 1- 5200- 20200 रू. +ग्रेड वेतन 2400 रू.	अचयन	18-25 वर्ष (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए शिथिल करके 40 वर्ष तक की जा सकती है।) टिप्पण: आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है।	

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष और प्रोन्नत व्यक्तियों के लिए कुछ नहीं।	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
स्टाफ कार चालक विशेष श्रेणी	1* (2014) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "ग" अननुसचिवीय (अराजपत्रित)	वे.बै. 2-9300- 34800 रु. +ग्रेड वेतन 4200 रु.	अचयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा।

(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति :- ऐसे स्टाफ कार चालक श्रेणी-। से चयन द्वारा जिसने ग्रेड वेतन 2800/-रू. में छह वर्ष नियमित सेवा की है। टिप्पण 1: जहां ऐसे किनष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे किनष्ठ व्यक्तियों सिहत, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अविध सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। टिप्पण 2: प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।	समूह "ग" विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :- (i) अवर सचिव, उपराष्ट्रपति सचिवालय -अध्यक्ष (ii) अनुभाग अधिकारी, उपराष्ट्रपति सचिवालय -सदस्य (iii) सचिवालय से बाहर का अनुभाग अधिकारी या समतुल्य पंक्ति का अधिकारी -सदस्य	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
स्टाफ कार चालक श्रेणी-I	3* (2014) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "ग" अननुसचिवीय (अराजपत्रित)	वे.बै. 1- 5200- 20200 रु. +ग्रेड वेतन 2800 रु.	अचयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रोन्नति द्वारा।

(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति :- ऐसे स्टाफ कार चालक श्रेणी-॥ से चयन द्वारा जिसने ग्रेड	समूह "ग" विभागीय प्रोन्नति समिति	लागू नहीं होता।
वेतन 2400/-रू. में पांच वर्ष नियमित सेवा की है।	(प्रोन्निति के संबंध में विचार करने के लिए)	
टिप्पण 1 : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक	जिसमें निम्नलिखित होंगे :-	
या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा	(i) अवर सचिव, उपराष्ट्रपति सचिवालय-	
हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु	अध्यक्ष	
यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा,	(ii) अनुभाग अधिकारी, उपराष्ट्रपति	
	सचिवालय-सदस्य	
अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें	` '	
से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों	अधिकारी या समतुल्य पंक्ति का अधिकारी	

सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

टिप्पण 2: प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।

-सदस्य

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
स्टाफ कार चालक श्रेणी-॥	3* (2014) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "ग" अननुसचिवीय (अराजपत्रित)	वे.बै. 1- 5200- 20200 रु. +ग्रेड वेतन 2400 रु.	अचयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा

(11)	(12)	(13)
प्रोन्निति : ऐसे स्टाफ कार चालक साधारण श्रेणी से चयन द्वारा जिसने ग्रेड	समूह "ग" विभागीय प्रोन्नति समिति	लागू नहीं होता।
वेतन 1900 रु. में आठ वर्ष नियमित सेवा की है।	(प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के	
टिप्पण 1 : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या	लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-	
पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां	(i) अवर सचिव उप राष्ट्रपति	
उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब	सचिवालय -अध्यक्ष	
कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता	(ii) अनुभाग अधिकारी उपराष्ट्रपति	
सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो	सचिवालय -सदस्य	
और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता	(iii) सचिवालय से बाहर का अनुभाग अधिकारी या समत्ल्य पंक्ति का	
सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी	अधिकारी -सदस्य	
परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।		
टिप्पण 2 : प्रोन्निति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन		
के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख		
से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित		
वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा		
को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड		
वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
स्टाफ कार चालक साधारण श्रेणी	3* (2014) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	अननुसचिवीय	वे.बै. 1- 5200- 20200 रु. + ग्रेड वेतन 1900 रु.	लागू नहीं होता	18 से 25 वर्ष (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए शिथिल करके 40 वर्ष तक की जा सकती है।)	(i) दसवीं कक्षा उत्तीर्ण। (ii) जिसके पास मोटर कार के लिए विधिमान्य चालन अनुज्ञप्ति हो।

		0	
		टिप्पण: आयु सीमा अवधारित	(iii)मोटर के कलपुरजे का
		करने के लिए निर्णायक तारीख	ज्ञान। ज्ञान।
		आवेदन प्राप्त करने के लिए	(अभ्यर्थी को यान की छोटी-
		नियत की गई अंतिम तारीख	मोटी खराबियों को दर करने
		होगी। रोजगार कार्यालयों के	का ज्ञान होना चाहिए ।
		माध्यम से की जाने वाली भर्ती	(iv) जिसके पास मोटर कार
		की दशा में आयुसीमा अवधारित	` '
		करने के लिए निर्णायक तारीख	चलाने का कम से कम तीन
		वह अंतिम तारीख होगी जिस	वर्ष का अनुभव हो।
		तक रोजगार कार्यालयों से नाम	
		भेजने के लिए कहा गया है।	

(8)	(9)	(10)
लागू न	हीं होता	दो वर्ष।	प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा। भूतपूर्व सैनिकों के लिए प्रतिनियुक्ति/ पुनर्नियोजन।

(11)	(12)	(13)
आमेलन :- उपराष्ट्रपति सचिवालय के ऐसे नियमित सवार हरकारा और समूह "ग" कर्मचारियों में से जिनके पास मोटरकार चलाने के लिए सक्षमता निर्धारण करने की चालन परीक्षण के आधार पर मोटर कार के लिए विधिमान्य चालन अनुज्ञप्ति है जिसके न हो सकने पर ऐसे पदधारी जो केन्द्रीय सरकार के अन्य मंत्रालयों/विभागों में नियमित आधार पर सवार हरकारा या नियमित "ग" कर्मचारी का पद धारण किए हुए है और जो इस अनुसूची के स्तंभ (7) में यथा उल्लिखित आवश्यक अर्हताएं पूरी करते हों। भूतपूर्व सैनिकों के लिए : प्रतिनियुक्ति/पुनर्नियोजन सशस्त्र बल के ऐसे कार्मिकों के संबंध में भी विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवा निवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानांतरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास अपेक्षित अनुभव और विहित अर्हताएं हैं। ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है; तत्पश्चात् उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है। प्रतिनियुक्ति के लिए:- टिप्पण 1:- प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/ विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 2:- प्रतिनियुक्ति का अधार पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 3:- प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।	समूह "ग" विभागीय पृष्टि समिति (पृष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- (i) अवर सचिव, उपराष्ट्रपति सचिवालय - अध्यक्ष (ii) अनुभाग अधिकारी, उपराष्ट्रपति सचिवालय- सदस्य (iii) सचिवालय से बाहर का अनुभाग अधिकारी या समतुल्य पंक्ति का अधिकारी -सदस्य	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
सवार हरकारा	1* (2014) *कार्यभार के आधार पर	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "ग" अननुसचिवीय (अराजपत्रित)	वे.बै. 1- 5200- 20200 रू. +ग्रेड वेतन 1900 रू.	लागू नहीं होता।	18 से 25 वर्ष (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए शिथिल करके 40 वर्ष	(i)दसवीं कक्षा उत्तीर्ण। (ii) जिसके पास मोटर साईकिल/तिपहिया स्कूटर के लिए विधिमान्य चालन

परिवर्तन किया जा सकता है।	तक की जा सकती है।) टिप्पण: आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती की दशा में आयुसीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।	पुरजे का ज्ञान। (अभ्यर्थी को वाहन की छोटी- मोटी खराबियों को दूर करने का ज्ञान होना चाहिए) (iv) जिनके पास तिपहिया
------------------------------------	---	--

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	दो वर्ष।	प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा। भूतपूर्व सैनिकों के लिए प्रतिनियुक्ति/ पुनर्नियोजन

(11)	(12)	(13)
आमेलन: - उपराष्ट्रपित सचिवालय के ऐसे नियमित समूह "ग" कर्मचारियों में से जिसके न हो सकने पर केन्द्रीय सरकार के अन्य मंत्रालयों/विभागों से नियमित सवार हरकारा/समूह "ग" कर्मचारियों में से जो इस अनुसूची के स्तंभ (7) में उल्लिखित सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अर्हता और अनुभव है। भूतपूर्व सैनिकों के लिए: प्रतिनियुक्ति/पुनर्नियोजन सशस्त्र बल के ऐसे कार्मिकों के संबंध में भी विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवा निवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानांतरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास अपेक्षित अनुभव और विहित अर्हताएं हैं। ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निवंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है; तत्पश्चात् उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है।	समूह "ग" विभागीय पृष्टि समिति (पृष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- (i) अवर सचिव, उपराष्ट्रपति सचिवालय-अध्यक्ष (ii) अनुभाग अधिकारी, उपराष्ट्रपति सचिवालय-	लागू नहीं होता।
प्रितिनेयुक्ति के लिए:- टिप्पण 1:- प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 2:- प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 3:- प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।	सदस्य (iii) सचिवालय से बाहर का अनुभाग अधिकारी या समतुल्य पंक्ति का अधिकारी -सदस्य	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
निजी परिचर	1* (2014) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "ग" अननुसचिवीय (अराजपत्रित)	वे.बै. 1- 5200- 20200 रू. +ग्रेड वेतन 1900 रू.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	उपराष्ट्रपति के विवेकानुसार, उनके समाधान के अधीन रहते हुए नियुक्ति उपराष्ट्रपति
		सचिवालय के समूह "ग" कर्मचारिवृंद में से सीधी भर्ती या प्रतिनियुक्ति द्वारा की
		जाएगी।
		पदधारी, उपराष्ट्रपति के प्रसाद पर्यन्त तक और उपराष्ट्रपति की पदावधि के अवसान
		तक पद रिक्त हो जाने तक या उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाने तक इनमें से जो भी
		पूर्वतर हो पद पर बना रहेगा।

लागू नहीं होता ।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
बहु-कार्य-	12*	साधारण	वे.बै. 1-	लागू	18 से 25 वर्ष	किसी मान्यताप्राप्त
कर्मचारिवृंद्व	(2014)	केन्द्रीय सेवा	5200-	नहीं	टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने	बोर्ड से मैट्रिकुलेशन
	*कार्यभार के	समूह "ग"	20200	होता।	के लिए निर्णायक तारीख कर्मचारी	या समतुल्य।
	आधार पर		रु. +ग्रेड		चयन आयोग द्वारा नियत की जाएगी।	
	परिवर्तन	(अराजपत्रित)	वेतन		(जहां भर्ती कर्मचारी चयन आयोग के	
	किया जा		1800 रू.		माध्यम से नहीं की जाती वहां आयु-	
	सकता है।				सीमा अवधारित करने के लिए	
	_				निर्णायक तारीख आवेदन प्राप्त करने के	
					लिए नियत की गई अंतिम तारीख	
					होगी।)	

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	दो वर्ष।	सीधी भर्ती द्वारा टिप्पण: पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लम्बी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों के अधीन एक वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेगी।

(11)	(12)		(13)
लागू नहीं होता	समूह "ग"		लागू नहीं होता।
	विभागीय पुष्टि समिति		
	(पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-		
	(i) अवर सचिव, उपराष्ट्रपति सचिवालय	-अध्यक्ष	
	(ii) अनुभाग अधिकारी, उपराष्ट्रपति सचिवालय	-सदस्य	
	(iii) सचिवालय से बाहर का अनुभाग अधिकारी या समतुल्य पंक्ति का अ	धिकारी -सदस्य	

(2014) केन्द्रीय सेवा 5200- नहीं जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के सहित किसी मान्यताप्रा अनुसार पर अनुसार पर अनुसार सरकारी सेवकों के लिए संस्था या होटल शिथिल करके 40 वर्ष तक की जा परिवर्तन (अराजपत्रित) वेतन सकती है।)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
सकता है।		4* (2014) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "ग" अननुसचिवीय	वे.बै. 1- 5200- 20200 रु. + ग्रेड	लागू नहीं होता।	जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए शिथिल करके 40 वर्ष तक की जा सकती है।) टिप्पण: आयु सीमा अवधारित करने के	सहित किसी मान्यताप्राप्त संस्था या होटल से स्टुवर्डशिप में प्रमाणपत्र/

		तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा	
		गया है।	

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	दो वर्ष।	सीधी भर्ती द्वारा।

(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	समूह "ग"	लागू नहीं होता।
	विभागीय पुष्टि समिति	
	(पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-	
	(i) अवर सचिव उप राष्ट्रपति सचिवालय -अध्यक्ष	
	(ii) अनुभाग अधिकारी उपराष्ट्रपति सचिवालय -सदस्य	
	(iii) सचिवालय से बाहर का अनुभाग अधिकारी या समतुल्य पंक्ति का	
	अधिकारी -सदस्य	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
मसालची	2* (2014) *कार्यभार के आधार पर परवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "ग" अननुसचिवीय (अराजपत्रित)	वे.बै. 1- 5200- 20200 रू. +ग्रेड वेतन 1800 रू.		18 से 25 वर्ष (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय- समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए शिथिल करके 40 वर्ष तक की जा सकती है।) टिप्पण: आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है।	दसवीं कक्षा उत्तीर्ण या समतुल्य।

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	दो वर्ष।	सीधी भर्ती द्वारा

(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	समूह "ग" विभागीय पुष्टि समिति	लागू नहीं होता ।
	(पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-	
	(i) अवर सचिव उप राष्ट्रपति सचिवालय -अध्यक्ष	
	(ii) अनुभाग अधिकारी उपराष्ट्रपति सचिवालय -सदस्य	
	(iii) सचिवालय से बाहर का अनुभाग अधिकारी या	
	समतुल्य पंक्ति का अधिकारी -सदस्य	

[फा. स. उ.रा.स.-61/02/2014-प्रशा.] स्वशपवन सिंह, भारत के उपराष्ट्रपति के सचिव

VICE-PRESIDENT'S SECRETARIAT

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th March, 2014

- **G.S.R. 306** (E).— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Vice-President's Secretariat (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 1966, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules, regulating the method of recruitment and conditions of service to the posts in the Vice-President's Secretariat, namely:-
- **1. Short title and commencement. -** (1) These rules may be called the Vice-President's Secretariat (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 2014.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- **2. Definition.** In these rules, unless the context otherwise requires, -
 - (a) "Appointing Authority" means the authority vested with the power to appoint persons to a class or classes of posts in the Secretariat as specified in rule 4 through any method of recruitment specified in rule 5;
 - (b) "Deputation" means the temporary transfer of the services of an officer to the Secretariat from any office outside the Secretariat and vice versa, where the terms of transfer are regulated under the orders issued by the Central Government from time to time;
 - (c) "Officer" means a person appointed to, or borne on the cadre of Secretariat;
 - (d) "Schedule" means a Schedule appended to these rules;
 - (e) "Secretariat" means the Vice-President's Secretariat;
 - (f) "Vice-President" means the Vice-President of India.
- 3. Number of posts, classification, pay band and grade pay or pay scale. Number of posts, their classification, their equivalent rank in Central Government, their pay band and grade pay or pay scale attached thereto, shall be as specified in Schedule-I to Schedule-IV.
- **4. Appointing Authority. -** (1) Appointment to all posts in Group "A" (Gazetted) specified in Schedule-I and Schedule-II shall be made by the Vice-President.
- (2) Appointment to all posts in Group "B" (Gazetted and Non-Gazetted) and Group "C" specified in Schedule I shall be made by the Secretary to Vice-President.
- **5. Method of recruitment, age limit, qualifications, etc. -** The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto, shall be as specified in Schedules-V.
- **Saving.** Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Ex-servicemen, the Other Backward Classes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.
- 7. **Disqualification.** No person,-
 - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living: or
 - (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said posts:
 - Provided that the Vice-President may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.
- **8. Conditions of service.** (a) **General** In respect of all matters regulating the conditions of service of officers for which no provision has been made in these rules, the officers shall be governed by such rules as are applicable to the officers holding posts in the corresponding scale of pay and rank in the Central Secretariat.
- (b) **Conduct.** Every officer shall be governed by the Central Civil Services (Conduct Rules), 1964, as amended from time to time, or such other corresponding rules as are applicable to the service of which he is a member.
- (c) **Discipline and control.** Every officer shall be governed by the Central Civil Services (Classification Control and Appeal Rules), 1965, as amended from time to time, or such other corresponding rules as are applicable to the service of which he is a member and shall be subject to the general superintendence and control of (i) The Vice-President as regards to Group "A" posts, and (ii) Secretary to Vice-President as regards to Group "B" and "C" posts.
- **9. Regulations.** Central Government may make regulations, not inconsistent with these rules to provide for all matters for which provision may be necessary or expedient for the purpose of giving effect to these rules.
- **10. Power to relax -** The Vice-President may, if he is of opinion that it is necessary or expedient so to do in the public interest, by order and for reasons to be recorded by him in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of officers.

SCHEDULE-I [See rule 3]

Authorised permanent strength

Sl.No.	Name of post	Number of posts		
Group 'A' Gazetted				
1.	Director	1		
2.	Under Secretary	2		
Group	'B' Gazetted			
3.	Section Officer	3		
Group	'B' Non-Gazetted			
4.	Assistant	3		
5.	Personal Assistant to Secretary	1		
6.	Jr. Hindi Translator	1		
7.	Reception Officer	1		
Group	'C'			
8.	Upper Division Clerk	2		
9.	Telephone Operator	3		
10.	Lower Division Clerk	6		
11.	Staff-car-Driver (Special Grade)	1		
12.	Staff-car-Driver (Grade-I)	3		
13.	Staff-car-Driver (Grade-II)	3		
14.	Staff-car-Driver (Ordinary Grade)	3		
15.	Despatch Rider	1		
16.	Multi-Tasking-Staff	12		
HOUS	EHOLD STAFF			
17	Chief Cook	1		
18.	Head Cook	1		
19.	Bearer	4		
20.	Masalchi	2		

SCHEDULE-II [See rule 3]

Authorised strength of personal staff

Sl.No.	Name of post	Number of posts	
	Group 'A' Gazetted		
1.	Secretary to Vice-President	1	
2.	Private Secretary to Vice-President	1	
3.	Officer on Special Duty to Vice-President	1	
	Group 'B' Gazetted		
1.	Assistant Private Secretary to Vice-President	2	
	Group 'C'		
1.	Personal Attendant	1	

SCHEDULE-III [See rule 3] Scale of pay attached to the various grades in the Secretariat.

Sl.No.	Name of post	Pay Band and Grade Pay or Pay Scale
Group	-A	
1. Secretary to Vice-President of India PB4-37400-67000 + 10000 2. Director PB4-37400-67000 + 8700 3. Officer on Special Duty to Vice-President of India. PB3-15600-39100 + 7600 4. Private Secretary to Vice-President of India PB3-15600-39100 + 7600 5. Under Secretary PB3-15600-39100 + 6600 Group 'B' Gazetted PB2-15600-39100 + 5400 6. Assistant Private Secretary to Vice-President of India PB2-15600-39100 + 5400		PB4-37400-67000 + 10000
2.	Director	PB4-37400-67000 + 8700
3.	· •	PB3-15600-39100 + 7600
4.		PB3-15600-39100 + 7600
5.	Under Secretary	PB3-15600-39100 + 6600
Group	'B' Gazetted	
6.	•	PB2-15600-39100 + 5400
7.	Section Officer	PB2-9300-34800 + 4800 (After completion of 4 years service in PB3- 15600-39100 + Grade Pay of Rs.5400)
Group	'B' Non-Gazetted	
8.	Assistant	PB2-9300-34800 + 4600
9.	Personal Assistant to Secretary	PB2-9300-34800 + 4200
10.	Jr. Hindi Translator	PB2-9300-34800 + 4200
11.	Reception Officer	PB2-9300-34800 + 4200

Group	Group 'C'			
12.	Upper Division Clerk	PB1-5200-20200 + 2400		
13.	Telephone Operator	PB1-5200-20200 + 2000		
14.	Lower Division Clerk	PB1-5200-20200 + 1900		
15.	Staff-car-Driver (Special Grade)	PB2-9300-34800 + 4200		
16.	Staff-car-Driver (Grade-I)	PB1-5200-20200 + 2800		
17.	Staff-car-Driver (Grade-II)	PB1-5200-20200 + 2400		
18.	Staff-car-Driver (Ordinary Grade)	PB1-5200-20200 + 1900		
19.	Despatch Rider	PB1-5200-20200 + 1900		
20.	Multi-Tasking-Staff	PB1-5200-20200 + 1800		
HOUS	SEHOLD STAFF			
21.	Chief Cook	PB1-5200-20200 + 2800		
22.	Head Cook	PB1-5200-20200 + 2400		
23.	Personal Attendant	PB1-5200-20200 + 1900		
24.	Bearer	PB1-5200-20200 + 1800		
25.	Masalchi	PB1-5200-20200 + 1800		

SCHEDULE-IV [See rule 3]

POSTS EQUIVALENT TO IN THE CENTRAL GOVERNMENT

Sl. No.	Name of post in the Vice-President's Secretariat	Equivalent to post in the Central Government
1.	Secretary to Vice-President	Joint Secretary to the Government of India (Even the post is held by the officers of the rank of Additional Secretary/Secretary, Government of India)
2.	Director	Director to the Government of India.
3.	Private Secretary to the Vice-President of India	Deputy Secretary to the Government of India.
4.	Officer on Special Duty to the Vice-President of India	Deputy Secretary to the Government of India.
5.	Under Secretary	Under Secretary to the Government of India
6.	Assistant Private Secretary to Vice-President of India	Group 'B' (Gazetted) of General Central Service.

7.	Section Officer	Section Officer of the Central Secretariat Service.
		Secretariat Service.
8.	Assistant	Officer of Assistant Grade in the
		Central Secretariat Service.
9.	Personal Assistant to Secretary	General Central Service
		Group 'B'(Non-Gazetted)
10.	Jr. Hindi Translator	General Central Service
		Group 'B'(Non-Gazetted)
11.	Reception Officer	General Central Service
		Group 'B'(Non-Gazetted)
12.	Upper Division Clerk	Officer of Grade-I of the Central
		Secretariat Clerical Service or General
		Central Service Group 'C' Ministerial
		(Non-Gazetted).
13.	Telephone Operator	Corresponding post in the
		Government of India.
14.	Lower Division Clerk	Officer of Grade-II of the Central
		Secretariat Clerical Service or General
		Central Service Group 'C' Ministerial
		(Non-Gazetted).
15.	Staff-car-Driver (Special Grade)	Corresponding post in the Government of
		India.
16.	Staff-car-Driver (Grade-I)	Corresponding post in the Government of
	India.	
17.	Staff-car-Driver (Grade-II)	Corresponding post in the Government of
	India.	51
18.	Staff-car-Driver	Corresponding post in the Government of
		India.
19.	Despatch Rider	Corresponding post in the Government of
17.	Desputen Ruder	India.
20.	Multi-Tasking-Staff	General Central Service Group 'C'
	Ç	General Cential Service Group C
HOUS	EHOLD STAFF	
21.	Chief Cook/Head Cook	General Central Service Group 'C'
22.	Personal Attendant to the	General Central Service Group'C'
	Vice-President of India	General Cential Service Group C
22	Pagrar	Ganaral Cantral Sarvica Crave (C)
23.	Bearer	General Central Service Group 'C'
24.	Masalchi	General Central Service Group 'C'

SCHEDULE-V [See rule 5]

Name of the post	Num-ber of Posts	Classification	Pay Band and Grade Pay or Pay scale	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Secretary	1	General Central	PB4 37400-	Not applicable	Not applicable	Not applicable
	(2014)	Service	67000 with			
	Subject to vari-	Group 'A'	Grade Pay of			
	ation depen-dent on work-load		Rs.10000/-			

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods	
(8)	(9)	(10)	
Not applicable	Not applicable	At the discretion of the Vice-President. Note 1: Incumbent will hold post during the pleasure the Vice-President. The appointment will be on a terminus basis with the term of Vice-President or who the office of the Vice-President of India falls vaca whichever is earlier. Note 2: The appointment is made with the approval of the vice-President of India falls vaca whichever is earlier.	
		Appointment Committee of the Cabinet, Department. of Personnel and Training and shall be regulated in terms of the orders issued in this regard.	

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made	If a Departmental Promotion / Confirmation Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
Officers holding the post in the rank of Joint Secretary or	Not applicable	Not applicable
above in the Central Government.		
Note: The incumbent to the post of Secretary to VPI in the past		
has been appointed at higher level to that of Addl.		
Secy./Secretary, Govt. of India by the Appointment Committee		
of the Cabinet at the discretion of the Vice-President.		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Private		General Central	PB3 15600-	Not applicable	Not applicable	Not applicable
Secretary to the	1*	Service	39100 with			
Vice-President	(2014)	Group 'A'	Grade Pay of			
of India	*Subject to vari-		Rs.7600/-			
	ation dependent					
	on work load					

(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	At the discretion of the Vice-President. Incumbent will hold post during the pleasure of the Vice-President. The appointment will be on co-terminus basis with the term of Vice-President or when the office of the Vice-President of India falls vacant, whichever is earlier. (the appointment is made with the approval of the Appointment Committee of the Cabinet, Department. of Personnel and Training and shall be regulated in terms of the orders issued in this regard)

(11)	(12)	(13)
Officers holding the post in the rank of Under Secretary or above in the Central Government.	Not applicable	Not applicable

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Officer on Special	1*	General	PB3 15600-39100	Not applicable	Not applicable	Not applicable
Duty to the Vice-	(2014)	Central	with Grade Pay of			
President	*Subject to vari-	Service	Rs.7600			
	ation dependent	Group 'A'				
	on work load	_				

(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	At the discretion of the Vice-President.
		Incumbent will hold post during the pleasure of the Vice-President. The
		appointment will be on co-terminus basis with the term of Vice-President
		or when the office of the Vice-President of India falls vacant, whichever
		is earlier.
		(the appointment is made with the approval of the Appointment
		Committee of the Cabinet, Department of Personnel and Training and
		shall be regulated in terms of the orders issued in this regard)

(11)	(12)	(13)
Officers holding the post in the rank of Under Secretary or	Not applicable	Not applicable
above in the Central Government.		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Director	1*	General Central	PB-3 Rs. 37000-	Selection	Not applicable	Not applicable
	(2014)	Service	67000 + GP			
	*Subject to vari-	Group 'A'	Rs. 8700			
	ation dependent					
	on work load					

(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	By promotion failing which by deputation / absorption.

(11)	(12)	(13)
Promotion: Under Secretaries who have rendered with 10 years of regular	Group 'A' Departmental	Not applicable
service in the Grade Pay of Rs.6600	Promotion Committee (For	
	considering promotion)	
Note 1: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility	consisting of -	
service are being considered for promotion, their seniors would also be		
considered provided they are not short of the requisite qualifying or	Chairman.	
eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility		
service or two years, whichever is less, and have successfully completed	(i) Secretary to Vice-President.	
probation period for promotion to the next higher grade along with their	Manufacture	
juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.	Members.	
Note 2: For the purpose of computing minimum qualifying service for	(i) Officer on Special Duty to	
promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1 st	Vice President of India at JS	
January, 2006, the date from which the revised pay structure based on the	level.	
Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall	ievei.	
be deemed to be service rendered in the corresponding Pay or Pay scale	(ii) Joint Secretary or officer of	
extended based on the recommendations of the Pay Commission.	Equivalent rank from outside the	
, and the second	Secretariat.	
Deputation: Officers of the Central Govt. possessing bachelor's degree		
and having at least five years experience of Administration, Establishment,		
Budget and Accounts and holding:-		
(i) Post(s) in PB-4 (Rs.37400-67000) with Grade Pay Rs.8700/- or		
equivalent post(s) on regular basis; or		
(") P ((); PP 2 (P 15(00.20100) ; d (1 () () () () ()		
(ii) Post(s) in PB-3 (Rs.15600-39100) with at least five years of regular		
service in the Grade Pay Rs.7600/-		
Note 1: The departmental officers in the feeder category, who are in		
direct line of promotion shall not be eligible for consideration for		
appointment on deputation. Similarly, deputationist shall not be eligible		
for appointment on promotion.		
Note 2: The period of deputation including the period of deputation in		

another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not exceed four years.

Note 3: The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.

Note 4: For the purpose of appointment on deputation/absorption basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006, the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding Pay or Pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Under Secretary	2*	General Central	PB3 15600-39100	Selection	Not applicable	Not applicable
	(2014)	Service	with Grade Pay of			
	*Subject to vari-	Group 'A'	Rs.6600			
	ation dependent	-				
	on work load					

(8)	(9)	(10)
Not applicable	Two years for promotees.	By promotion, failing which by deputation.

(11)	(12)	(13)
Promotion: Section Officers with six years regular service in the grade Note 1: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Note 2: For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006, the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service	Group 'A' Departmental Promotion Committee (For considering promotion) consisting of —Chairman. (i) Director, Vice President Secretariat. —Members. (i) Officer on Special Duty or Private Secretary to Vice President of India.	(13) Not applicable
rendered in the corresponding Pay or Pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission. Deputation: Officers of the Central Govt. holding analogous post with 6 years of regular service on regular basis in parent cadre or deptt. in post in Pay Band with Grade Pay of Rs.4800 and having atleast three years experience of Administration, establishment, budget and accounts.	(ii) Deputy Secretary or officer of Equivalent rank from outside the Secretariat	
Note 1: The departmental officers in the feeder category, who are in direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationist shall not be eligible for appointment on promotion.		
Note 2: The period of deputation including the period of deputation in another excadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not exceed four years.		
Note 3: The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications		
Note 4 : For the purpose of appointment on deputation/absorption basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1 st January, 2006, the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding Pay or Pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission.		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Assistant	2*	General Central	PB-3, 15600-	Non-selection	Not applicable	Not applicable
Private	(2014)	Service Group	39100 with			
Secretary to	*Subject to vari-	'B' (Gazetted)	Grade Pay of			
Vice-President	ation dependent		Rs.5400			
of India	on work load					

(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	At the discretion of the Vice-President.
		Incumbent will hold post during the pleasure of the Vice-
		President. The appointment will be on co-terminus basis with the
		term of Vice-President or when the office of the Vice-President
		of India falls vacant, whichever is earlier.

(11)	(12)	(13)
Officers holding the post in the Grade Pay of Rs.4800 or above in	Not applicable	Not applicable
the Central Government or Vice- President's Secretariat.		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Section Officer	3*	General Central	PB2 9300-	Selection	Not applicable	Not applicable
	(2014)	Service Group	34800 with			
	*Subject to vari-	'B' (Gazetted)	Grade Pay of			
	ation dependent		Rs.4800/-			
	on work load					

(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	(a) 66.1/3% by promotion failing which by deputation and
		(b) 33.1/3% by deputation/absorption.

	1	
(11)	(12)	(13)
Promotion: Assistants with Two years of regular service in the Grade Pay of Rs.4600	Group 'B' Departmental Promotion Committee	Not applicable
Note 1: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.	(For considering promotion) consisting of —Chairman. (i) Director, Vice President Secretariat. —Members.	аррисание
Note 2: For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1 st January, 2006, the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding Pay or Pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission. Deputation: Officers of the Central Government holding analogous post with Two years of regular service in post in Grade Pay of Rs.4600 and having experience of Administration, establishment, budget and accounts.	(i) Under Secretary, Vice President's Secretariat (ii) Under Secretary or officer of equivalent rank from outside the Secretariat.	
Note 1: The departmental officers in the feeder category, who are in direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationist shall not be eligible for appointment on promotion.		
Note 2: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.		
Note 3: The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.		
Note 4 : For the purpose of appointment on deputation/absorption basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006, the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding Pay or Pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission.		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Assistant	3*	General Central	PB-2, 9300-	Not	30 years.	(i) Bachelor's
	(2014)	Service Group	34800 with	applicable	(relaxable or Govern-	Degree from a
	*Subject to vari-	'B' (Non-	Grade Pay of		ment Servants up to	recognised
	ation dependent	Gazetted)	Rs.4600		five years in	University,
	on work load				accordance with the	
					instructions or orders	
					issued by the Central	
					Government).	
					Note: Crucial date for	
					deter-mining the age	
					limit shall be as fixed	
					by the Staff Selection	
					Commission. (Where	
					recruitment is not	
					through Staff Selection	
					Commission, crucial	
					date for determining the	
					age limit shall be the	
					last date for receipt of	
					application).	

(8)	(9)	(10)
Not applicable	Two years for direct recruit & promotees.	(a) 66.2/3% by promotion/deputation
		(b) 33.1/3% by direct recruitment.

Promotion or Deputation: Officers of Central Government holding analogous post with five years of regular service in the Grade Pay of Rs. 4200 and possessing the qualification for DR as at column (7) The Departmental Reception Officer meets the eligible requirement shall also be considered along with outsiders. In case the officer is selected, the same will be treated as promotion. Note 1: For the purposes of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006, the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding Pay or Pay scale extended based on the recommendation of the Pay Commission. Note 2: The departmental officers in the feeder category, who are in direct line of promotion shall not be eligible for appointment on deputation. Similarly, deputationist shall not be eligible for appointment on promotion. Note 3: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central	(11)	(12)	(13)
Rs. 4200 and possessing the qualification for DR as at column (7) The Departmental Reception Officer meets the eligible requirement shall also be considered along with outsiders. In case the officer is selected, the same will be treated as promotion. Note 1: For the purposes of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006, the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding Pay or Pay scale extended based on the recommendation of the Pay Commission. Note 2: The departmental officers in the feeder category, who are in direct line of promotion shall not be eligible for appointment on deputation. Similarly, deputationist shall not be eligible for appointment on promotion. Note 3: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in	<u> </u>		Not applicable
Departmental Reception Officer meets the eligible requirement shall also be considered along with outsiders. In case the officer is selected, the same will be treated as promotion. Note 1: For the purposes of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006, the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding Pay or Pay scale extended based on the recommendation of the Pay Commission. Note 2: The departmental officers in the feeder category, who are in direct line of promotion shall not be eligible for appointment on deputation. Similarly, deputationist shall not be eligible for appointment on promotion. Note 3: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in		Confirmation Committee (For	
also be considered along with outsiders. In case the officer is selected, the same will be treated as promotion. Note 1: For the purposes of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006, the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding Pay or Pay scale extended based on the recommendation of the Pay Commission. Note 2: The departmental officers in the feeder category, who are in direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationist shall not be eligible for appointment on promotion. Note 3: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in			
the same will be treated as promotion. Note 1: For the purposes of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006, the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding Pay or Pay scale extended based on the recommendation of the Pay Commission. Note 2: The departmental officers in the feeder category, who are in direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationist shall not be eligible for appointment on promotion. Note 3: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in			
Note 1: For the purposes of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006, the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding Pay or Pay scale extended based on the recommendation of the Pay Commission. Note 2: The departmental officers in the feeder category, who are in direct line of promotion shall not be eligible for appointment on deputation. Similarly, deputationist shall not be eligible for appointment on promotion. Note 3: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in		—Chairman.	
Note 1: For the purposes of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006, the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding Pay or Pay scale extended based on the recommendation of the Pay Commission. Note 2: The departmental officers in the feeder category, who are in direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationist shall not be eligible for appointment on promotion. Note 3: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in	the same will be treated as promotion.		
promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006, the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding Pay or Pay scale extended based on the recommendation of the Pay Commission. Note 2: The departmental officers in the feeder category, who are in direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationist shall not be eligible for appointment on promotion. Note 3: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in			
1st January, 2006, the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding Pay or Pay scale extended based on the recommendation of the Pay Commission. Note 2: The departmental officers in the feeder category, who are in direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationist shall not be eligible for appointment on promotion. Note 3: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in			
on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding Pay or Pay scale extended based on the recommendation of the Pay Commission. Note 2: The departmental officers in the feeder category, who are in direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationist shall not be eligible for appointment on promotion. Note 3: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in		—Members.	
extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding Pay or Pay scale extended based on the recommendation of the Pay Commission. Note 2: The departmental officers in the feeder category, who are in direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationist shall not be eligible for appointment on promotion. Note 3: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in			
Pay or Pay scale extended based on the recommendation of the Pay Commission. Note 2: The departmental officers in the feeder category, who are in direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationist shall not be eligible for appointment on promotion. Note 3: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in	<u> </u>		
Commission. Note 2: The departmental officers in the feeder category, who are in direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationist shall not be eligible for appointment on promotion. Note 3: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in		Secretariat.	
Note 2: The departmental officers in the feeder category, who are in direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationist shall not be eligible for appointment on promotion. Note 3: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in			
direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationist shall not be eligible for appointment on promotion. Note 3: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in		` /	
appointment on deputation. Similarly, deputationist shall not be eligible for appointment on promotion. Note 3: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in			
for appointment on promotion. Note 3: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in		Secretariat.	
Note 3: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in			
another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in	for appointment on promotion.		
another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in	Note 3. The period of deputation including the period of deputation in		
the same of some other organization of department of the central			
Government shall ordinarily not exceed three years.			
Government shan ordinarry not exceed time years.	Government shan ordinarry not exceed three years.		
Note 4: The maximum age limit for appointment by deputation shall be	Note 4: The maximum age limit for appointment by deputation shall be		
not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.			
not entereding to yours as on the closing date of receipt of approximens.	not one completely pears as on the closing date of receipt of approximens.		
Note 5: For the purpose of appointment on deputation basis, the service	Note 5: For the purpose of appointment on deputation basis, the service		
rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006, the			
date from which the revised pay structure based on the Sixth Central			
Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed			
to be service rendered in the corresponding Pay or Pay scale extended	to be service rendered in the corresponding Pay or Pay scale extended		
based on the recommendations of the Pay Commission.	based on the recommendations of the Pay Commission.		
	·		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jr. Hindi	1*	General	PB-2, 9300-	Not	18-30 years	Essential:
Translator	(2014)	Central	34800 with	applicable	(relaxable for Govern-	(i) Master's degree of a
Translator	*Subject to	Service	Grade Pay	причина	ment Servants up to five	recognized University or
	variation	Group 'B'	of Rs.4200		years in accordance with	equivalent in Hindi or English
	dependent on	Ministerial	01 165. 1200		the instructions or orders	with English or Hindi as a
	work load	(Non-			issued by the Central	compulsory or elective subject
	Work foud	Gazetted)			Government)	or as a medium of examination
		Guzetteu)			Note: Crucial date for	at degree level.
					determining the age	Or
					limit shall be as fixed by	Master's degree of a
					the Staff Selection	recognized University of
					Commission. (Where	equivalent in any subject other
					recruitment is not	than Hindi or English, with
					through Staff Selection	Hindi or English medium and
					Commission, crucial	English or Hindi as
					date for determining the	compulsory or elective subject
					age limit shall be the last	or as a medium of examination
					date for receipt of	at degree level.
					application).	Or
						Master's degree of a
						recognized university of
						equivalent in any subject other
						than Hindi or English, with
						Hindi or English medium and
						English or Hindi as
						compulsory or elective subject
						of either or the two as a
						medium of examination and
						other as a compulsory or
						elective subject at degree
						level.
						And
						(ii) Recognized Diploma or
						Certificate Course in
						translation from Hindi to
						English and vice-versa or two
						years experience of translation
						work from Hindi to English
						and Vice-versa in Central or
						State Govt. Offices, including
						Govern-ment of India
						Undertaking.
						Desirable:
						(i) Knowledge at the level of Matriculation of recognized
						Board or equivalent of one of
						the languages other than Hindi
						mentioned in the Eighth
						Schedule of the Constitution.
						(ii) Degree or Diploma in
						translation from Hindi to
						English and vice-versa from a
						recognized University.
						recognized on versity.
		I				

(8)	(9)	(10)
Not applicable	Two years for direct recruit.	By deputation, failing which by direct recruitment.

(11)	$(12) \qquad (13)$
Deputation: Officers of the Central Government holding analogous	Group 'B' Departmental Not applicable
post and possessing the qualification for DR as at column (7).	Confirmation Committee (For
	considering confirmation)
Note 1: The period of deputation including the period of deputation in	consisting of -
another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in	—Chairman.
the same or some other organization/ department of the Central	(i) Under Secretary, Vice
Government shall ordinarily not exceed three years.	President's Secretariat.
	—Members.

- **Note 2:** The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.
- **Note 3:** For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006, the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding Pay or Pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission.
- (i) Section Officer, Vice President's Secretariat.
- (ii) Section Officer or officer of equivalent rank from outside the Secretariat.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
P.A. to	1*	General Central	PB-2, 9300-	Not applicable	Not applicable	Not applicable
Secretary	(2014)	Service Group	34800 with			
	*Subject to vari-	'B' Ministerial	Grade Pay of			
	ation dependent	(Non-Gazetted)	Rs. 4200			
	on workload					

(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	By deputation.

(11)	(12)	(13)
Deputation: Officers of the Central Government who belongs to Stenographer'	Not applicable	Not applicable
Service and holding analogous post in the parent cadre or department.		
Note 1: The period of deputation including the period of deputation in another excadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.		
Note 2: The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.		
Note 3: For the purposes of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1 st January, 2006, the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding Pay or Pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission.		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		General Central	PB-2, 9300-34800	Selection	Not applicable	Not applicable
Reception	1*	Service Group	with Grade Pay of			
Officer	(2014)	'B' Ministerial	Rs.4200			
	*Subject to vari-	(Non-Gazetted)				
	ation dependent					
	on workload					

(8)	(9)	(10)
Not applicable	Two years for promotees.	By promotion failing which by deputation.

(11)	(12)	(13)
Promotion: Upper Division Clerks with 10 years of regular service in	Group 'B' Departmental Promotion	Not applicable
the Grade Pay of Rs.2400	Committee (For considering	
Note 1: Where juniors who have completed their qualifying or	promotion) consisting of -	
eligibility service are being considered for promotion, their seniors	—Chairman.	
would also be considered provided they are not short of the requisite	(i) Under Secretary, Vive President's	
qualifying or eligibility service by more than half of such	Secretariat.	
qualifying/eligibility service or two years, whichever is less, and have	—Members.	
successfully completed probation period for promotion to the next	(i) Section Officer, Vice President's	
higher grade along with their juniors who have already completed such	Secretariat.	
qualifying or eligibility service.	(ii) Section Officer or officer of	
Note 2: For the purposes of computing minimum qualifying service for	equivalent rank from outside the	
promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to	Secretariat.	
higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Note 2: For the purposes of computing minimum qualifying service for	Secretariat. (ii) Section Officer or officer of equivalent rank from outside the	

1st January, 2006, the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding Pay or Pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission.

Deputation: Officers of the Central Government holding analogous post in the parent cadre/department

Note 1: The departmental officers in the feeder category, who are in direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationist shall not be eligible for appointment on promotion.

Note 2: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization / department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.

Note 3: The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.

Note 4: For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006, the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding Pay or Pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Upper Division	2*	General Central	PB-1, 5200-	Non-selection	Not applicable	Not applicable
Clerk	(2014)	Service Group	20200 with			
	*Subject to vari-	'C' Ministerial	Grade Pay of			
	ation dependent	(Non-Gazetted)	Rs.2400			
	on workload					

(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	By promotion

(11)	(12)	(13)
Promotion: Telephone Operators with five years of regular service in the	Group 'C' Departmental	Not applicable
Grade Pay of Rs.2000	Promotion Committee (For	
	considering promotion)	
Note 1: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility	consisting of -	
service are being considered for promotion, their seniors would also be	—Chairman.	
considered provided they are not short of the requisite qualifying or		
eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility	(i) Under Secretary, Vice	
service or two years, whichever is less, and have successfully completed	President's Secretariat.	
probation period for promotion to the next higher grade along with their	—Members.	
juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.		
	(i) Section Officer, Vice	
Note 2: For the purposes of computing minimum qualifying service for	President's Secretariat.	
promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1 st		
January, 2006, the date from which the revised pay structure based on the	(ii) Section Officer or officer of	
Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall	equivalent rank from outside the	
be deemed to be service rendered in the corresponding Pay or Pay scale	Secretariat.	
extended based on the recommendations of the Pay Commission.		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	3*	General Central	PB-1, 5200-	Non- Selection	Not applicable	Not applicable
Telephone	(2014)	Service Group	20200 with			
Operator	*Subject to vari-	'C' Ministerial	Grade Pay of			
-	ation dependent	(Non-Gazetted)	Rs. 2000			
	on workload					

(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	By promotion.

(11)	(12)	(13)
Promotion: Lower Division Clerks with three years of regular service in the Grade Pay of Rs.1900	Group 'C' Departmental Promotion Committee (For considering promotion) consisting of - —Chairman.	Not applicable
Note 1: The eligibility list for promotion shall be prepared with reference to the date of completion by the officers of the prescribed qualifying service in the respective grade/nest.	 (i) Under Secretary, Vice President's Secretariat. —Members. (i) Section Officer, Vice President's Secretariat. 	
service in the respective grade/post.	(1) Section Officer, vice President's Secretariat.	
Note 2: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Note 3: For the purposes of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1 st January, 2006, the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding Pay or Pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission.	(ii) Section Officer or officer of equivalent rank from outside the Secretariat.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Lower Division	5*	General Central	PB-1, 5200-	Non-	18 - 27 years	(i) 12th class or
Clerk	(2014)	Service Group	20200 with	selection	(relaxable for	equivalent
	*Subject to	'C' Ministerial	Grade Pay of		Government Servants	qualification from
	variation	(Non-Gazetted)	Rs. 1900		up to 40 years in	recognized Board
	dependent on				accordance with the	or university.
	work load				instructions or orders issued by the Central Government). Note: Crucial date for deter-mining the age limit shall be as fixed by the Staff Selection Commission. (Where recruitment is not through Staff Selection Commission, crucial date for determining the age limit shall be the last date for receipt of application).	(ii) Typing speed of 35 w.p.m. in English or 30 w.p.m. in Hindi on computer. (Time allowed—10 minutes) (35 w.p.m. and 30 w.p.m. correspond to 10500 KDPH/9000 KDPH on a average of 5 key de-pressions for each word).

(8)	(9)	(10)
Not applicable	Two years for direct recruit	(i) 85% by direct recruitment through SSC.
		(ii) 10% of the vacancies shall be filled from amongst the Group C Staff
		in the Grade Pay of Rs.1800 and who possess 12th class pass or
		equivalent qualification and have rendered 3 years regular service in the
		grade on the basis of departmental qualifying examination. The
		maximum age limit for eligibility for examination is 45 years. (50 years
		of age for the SC/ST).
		Note: If more of such employees than the number of vacancies available
		under Clause (ii) qualified at the examination such excess number of
		employees shall be considered for filling the vacancies arising in the

	subsequent years so that the employees qualifying at an earlier examination are considered before those who qualify at a later examination. (iii) 5% of the vacancies shall be filled on seniority-cum-fitness basis from Group C employees who have 3 years regular service in posts with the Grade Pay of Rs. 1800.
--	--

(11)	(12)	(13)
As stated in Col.10	Group 'C' Departmental Confirmation Committee (For considering confirmation) consisting of — Chairman.	Not applicable
	(i) Under Secretary, Vice President's Secretariat. —Members.	
	(i) Section Officer, Vice President's Secretariat.	
	(ii) Section Officer or officer of equivalent rank from outside the Secretariat.	

	(1)	(2)	(3	B)		(4)	(5)	(6)	(7)
Cl	hief Cook	1*	General	Central	PB-1,	5200-	Non-selection	Not applicable	Not applicable
		(2014)	Service	Group	20200	with			
		*Subject to vari-	'C'	Non-	Grade	Pay of			
		ation dependent	Minister	ial	Rs. 280	00			
		on workload	(Non-Ga	zetted)					

(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Promotion/Deputation

(11)	(12)	(13)
Promotion or Deputation: Cooks in the Vice-President's Secretariat	Group 'C' Departmental Promotion	Not applicable
or Cooks serving in Central / State Government organizations/ITDC	Committee (For considering	
Hotels/Armed Forces mess with five years of regular service in the	promotion) consisting of -	
Grade Pay of Rs.2400	—Chairman.	
Note 1: For the purposes of computing minimum qualifying service for		
promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to	(i) Under Secretary, Vice President's	
1 st January, 2006, the date from which the revised pay structure based	Secretariat.	
on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been	—Members.	
extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding		
Pay or Pay scale extended based on the recommendation of the Pay	(i) Section Officer, Vive President's	
Commission.	Secretariat.	
Note 2: The departmental officers in the feeder category, who are in		
direct line of promotion shall not be eligible for consideration for	(ii) Section Officer or officer of	
appointment on deputation. Similarly, deputationist shall not be eligible	Equivalent rank from outside the	
for appointment on promotion.	Secretariat.	
Note 3: The period of deputation including the period of deputation in		
another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in		
the same or some other organization or department of the Central		
Government shall ordinarily not exceed three years.		
Note 4: The maximum age limit for appointment by deputation shall be		
not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.		
Note 5: For the purpose of appointment on deputation basis, the service		
rendered on a regular basis by an officer prior to		
1 st January, 2006, the date from which the revised pay structure based		
on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been		
extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding		
Pay or Pay scale extended based on the recommendations of the Pay		
Commission.		ļ

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Head Cook	1*	General Central	PB-1, 5200-	Non-selection	18 to 25 years	(i) 10 th Class pass
	(2014)	Service Group	20200 with		(relaxable for	with a certificate /
	*Subject to vari-	'С'	Grade Pay of		Government	diploma in
	ation dependent	Non- Ministerial	Rs. 2400		Servants up to	catering from a
	on workload	(Non-Gazetted)			40 years in	recognized

			accordance with the instructions or orders issued by the Central Government) Note: Crucial date for deter- mining the age limit shall be the last date upto which the Employment Exchange is asked to submit names.	Institute or Hotel. (ii) 1 year experience of cooking in Govt. /State Govt. Guest House/Hotel/ Armed Forces Officers' Mess. (iii) A Trade Skill Test for cooking including maintenance of hygiene etc. shall be conducted by the depart-mental Promo-tion/ Confir-mation Committee to assess the suitability of the candidate.
--	--	--	---	--

(8)	(9)	(10)
Not applicable	Two years for direct recruit and 'nil' for promotee.	By promotion failing which by deputation failing which by direct recruitment.

(11)	(12)	(13)
Promotion: (i) By Selection from Bearers or Masalchies who have rendered eleven years of regular service. (ii) A Trade Test shall be got conducted by the Departmental Promotion Committee with reference to the cooking including maintenance of hygiene etc. Note 1: The eligibility list for promotion shall be prepared with reference to the date of completion by the officers of the prescribed qualifying service in the respective grade/post. Note 2: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Note 3: For the purposes of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006, the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding Pay or Pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission. Deputation: (i) Cooks serving in Central/State Govt. organizations/ITDC Hotels/Armed Forces mess with three years of regular service. (ii) Possessing certificate/diploma in catering. (iii) Possessing certificate/diploma in catering. The appointment shall be made at the discretion of the Vice-President. The incumbent shall hold the post during the pleasure of the Vice-President and shall vacate the post at the expiry of the term of the Vice-President of India or when the office of the Vice-President of India falls vacant, whichever is earlier.	Group 'C' Departmental Promotion/Confirmation Committee (For considering promotion/confirmation, as the case may be) consisting of - —Chairman. (i) Under Secretary, Vice President's Secretariat. —Members. (i) Section Officer, Vice President's Secretariat. (ii) Section Officer or officer of equivalent rank from outside the Secretariat	Not applicable

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Staff-car -Driver	1*	General Central	PB-1, 9300-	Non-selection	Not applicable	Not applicable
Special Grade	(2014)	Service Group	34800 with			
	*Subject to vari-	'C' Non-	Grade Pay of			
	ation dependent	Ministerial	Rs.4200			
	on workload	(Non-Gazetted)				

(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	By promotion

(11)	(12)	(13)
Promotion: By Selection from Staff-car-Drivers Grade-I with six years of regular service in the Grade Pay of Rs. 2800.	Group 'C' Departmental Promotion Committee (For considering promotion) consisting of – —Chairman.	Not applicable
Note 1: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being Considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.	 (i) Under Secretary, VP Secretariat. —Members. (i) Section Officer, VP Secretariat. (ii) Section Officer or officer of equivalent rank from outside the Secretariat. 	
Note 2: For the purposes of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1 st January, 2006, the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding Pay or Pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission.		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Staff-car -Driver	3*	General Central	PB-1, 5200-	Non-selection	Not applicable	Not applicable
Grade-I	(2014)	Service Group	20200 with			
	*Subject to vari-	'C' Non-	Grade Pay of			
	ation dependent	Ministerial	Rs. 2800			
	on workload	(Non-Gazetted)				

(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	By promotion

(11)	(12)	(13)
Promotion: By Selection from Staff-car-Drivers	Group 'C' Departmental Promotion	Not applicable
Grade-II with five years of regular service in the	Committee (For considering promotion)	
Grade Pay of Rs. 2400.	consisting of —	
Note 1: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being	—Chairman.	
considered for promotion, their seniors would also	(i) Under Secretary, VP Secretariat.	
be considered provided they are not short of the		
requisite qualifying or eligibility service by more	—Members.	
than half of such qualifying or eligibility service or	(i) a di Occi AID a	
two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the	(i) Section Officer, VP Secretariat.	
next higher grade along with their juniors who have	(ii) Section Officer or officer of equivalent	
already completed such qualifying or eligibility	rank from outside the Secretariat.	
service.		
Note 2: For the purposes of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to		

1st January, 2006, the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding Pay or Pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Staff-car Driver		General Central	P.B.1, 5200-	Non-selection	Not applicable	Not applicable
Grade-II	3*	Service Group	20200 with			
	(2014)	'С'	Grade Pay of			
	*Subject to vari-	Non- Ministerial	Rs. 2400			
	ation dependent	(Non-Gazetted)				
	on work load					

(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	By promotion

(11)	(12)	(13)
Promotion: By Selection from Staff-car-	Group 'C' Departmental Promotion Committee (For	Not applicable
Drivers Ordinary Grade with eight years of	considering promotion) consisting of —	
regular service in the Grade Pay of Rs.1900.		
	—Chairman.	
Note 1: Where juniors who have completed		
their qualifying or eligibility service are	(i) Under Secretary, VP Secretariat.	
being considered for promotion, their seniors		
would also be considered provided they are	—Members.	
not short of the requisite qualifying or		
eligibility service by more than half of such	(i) Section Officer, VP Secretariat.	
qualifying or eligibility service or two years,		
whichever is less, and have successfully	(ii) Section Officer or officer of equivalent rank from	
completed probation period for promotion to	outside the Secretariat.	
the next higher grade along with their		
juniors who have already completed such		
qualifying or eligibility service.		
Note 2: For the purposes of computing		
minimum qualifying service for promotion,		
the service rendered on a regular basis by an		
officer prior to 1 st January, 2006, the date		
from which the revised pay structure based		
on the Sixth Central Pay Commission		
recommendations has been extended, shall		
be deemed to be service rendered in the		
corresponding Pay or Pay scale extended		
based on the recommendations of the Pay		
Commission.		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Staff-car	3*	General Central	P.B.1, 5200-	Not applicable	18 to 25 years	(i) 10th passed.
Driver	(2014)	Service Group	20200 with		(relaxable for	
Ordinary	*Subject to vari-	'С'	Grade Pay of		Government Servants	(ii) Possession
Grade	ation dependent	Non- Ministerial	Rs. 1900		up to 40 years in	of valid driving
	on workload	(Non-Gazetted)			accordance with the	license for
					instructions or orders	motor cars.
					issued by the Central	
					Government)	(iii) knowledge
					Note: Crucial date for	of motor
					deter-mining the age	mechanism (The
					limit shall be the last	candidate should
					date of receipt of	remove minor-
					application.	defects in
					In case recruitment	vehicle).
					made through the	
					Employment Ex-	(iv) Experience
					change, the crucial	of driving a
					date for determining	motor car for at
					the age limit shall be	least three years.
					the last date up to	
					which the Employ-	

		ment Exchange is asked to submit the names.	
--	--	---	--

(8)	(9)	(10)
Not applicable	Two years	By deputation/ absorption failing which by
		direct recruitment.
		For Ex-servicemen
		Deputation / re-employment.

(11)	(12)	(13)
Absorption: From amongst the regular Dispatch Rider	Group 'C' Departmental Confirmation	Not applicable.
and Group 'C' employees of Vice President's Secretariat	Committee (For considering	
who possess valid Driving License for Motor Cars on the	confirmation) consisting of —	
basis of a Driving Test to assess the competence to drive		
Motor Cars, failing which from officials holding the post	—Chairman.	
of Dispatch Rider on regular basis or regular Group 'C'		
employees in other Central Government Ministries /	(i) Under Secretary, VP Secretariat.	
Department who fulfill the necessary qualifications as		
mentioned in column (7) of this schedule.	—Members.	
For Ex-servicemen:		
Deputation / re-employment.	(i) Section Officer, VP Secretariat.	
The Armed Forces Personnel due to retire or who are to		
be transferred to reserve within a period of one year and	(ii) Section Officer or officer of equivalent	
having the requisite experience and qualifications	rank from outside the Secretariat.	
prescribed shall also be considered. Such persons would		
be given deputation terms up to the date on which they		
are due for release from the Armed Forces, thereafter they		
may be continued on re-employment.		
For Deputation:		
Note 1: The period of deputation including the period of		
deputation in another ex-cadre post held immediately		
preceding this appointment in the same or some other		
organization / department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.		
Note 2: The maximum age limit for appointment by		
deputation shall be not exceeding 56 years as on the		
closing date of receipt of applications.		
Note 3: For the purpose of appointment on deputation		
basis, the service rendered on a regular basis by an officer		
prior to 1 st January, 2006, the date from which the		
revised pay structure based on the Sixth Central Pay		
Commission recommendations has been extended, shall		
be deemed to be service rendered in the corresponding		
Pay or Pay scale extended based on the recommendations		
of the Pay Commission.		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Despatch	1*	General Central	PB1, 5200-20200	Not applicable	18 to 25 years	(i) 10 th passed
Rider	(2014)	Service Group 'C'	with Grade Pay of		(Relaxable for	_
	*Subject to	Non- Ministerial	Rs.1900		Government	(ii) Possession of
	variation	(Non-Gazetted)			Servants up to 40	valid driving
	dependent				years in accordance	license for Motor
	on				with the	Cycle / 3W - TSR
	workload				instructions or	
					orders issued by the	(iii) knowledge of
					Central Govern-	3W-TSR
					ment).	mechanism (The
					Note: Crucial date	candidate should
					for determining the	remove minor-
					age limit shall be	defects in vehicle).
					the last date of	
					receipt of	(iv) Experience of
					application. In case	driving a 2W-
					recruitment made	TSR for at least 2
					through the	years.
					Employment Ex-	
					change, the crucial	
					date for deter-	

(13)

Not applicable.

		mining the age limit	
		shall be the last date	
		upto which the	
		Employment Ex-	
		change is asked to	
		submit the names.	

(8)	(9)	(10)
Not applicable	Two years	By deputation / absorption failing which
		by direct recruitment.
		For Ex-servicemen
		Deputation / re-employment.

Absorption: From amongst the regular Group 'C' employees of Vice President's Secretariat, failing which from regular Dispatch Rider / Group 'C' employees from other Central Government Ministries/ Departments who possess the qualification and experience prescribed for direct recruits as mentioned in column (7) of this schedule.

For Ex-servicemen:

Deputation / re-employment.

The Armed Forces Personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having the requisite experience and qualifications prescribed shall also be considered. Such persons would be given deputation terms up to the date on which they are due for release from the Armed Forces, thereafter they may be continued on re-employment.

For Deputation:

Note 1: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization / department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.

Note 2: The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.

Note 3: For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006, the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding Pay or Pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission.

Group 'C' Departmental Confirmation Committee (For considering confirmation) consisting of —

—Chairman.

- (i) Under Secretary, VP Secretariat.
- -Members.
- (i) Section Officer, VP Secretariat.
- (ii) Section Officer or officer of Equivalent rank from outside the Secretariat.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Personal	1*	General Central	PB-1, 5200-	Not applicable	Not applicable	Not applicable
Attendant	(2014)	Service Group	20200 with			
	*Subject to vari-	'C'	Grade Pay of			
	ation dependent	Non- Ministerial	Rs. 1900			
	on workload	(Non-Gazetted)				

(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	At the discretion of the Vice President, the appointment is made by direct or deputation or from amongst the Group 'C' staff of Vice President's Secretariat subject to his satisfaction. The incumbent shall hold the post during the pleasure of the Vice-President and shall vacate the post at the expiry of the term of the office of the Vice-President or of the office of the Vice-President falls vacant whichever is earlier.

(11)	(12)	(13)
Not applicable	Not applicable	Not applicable

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Multi- Tasking	12*	General	PB1, 5200-	Not	18 to 25 years	Matriculation pass
Staff	(2014)	Central	20200 with	applicable	Note: Crucial date for	or equivalent from
	*Subject to	Service Group	Grade Pay of		determining the age limit	recognized Board.
	variation	'C'	Rs. 1800		shall be as fixed by the Staff	
	dependent on	Non-			Selection Commission.	
	workload	Ministerial			(Where recruitment is not	
		(Non-			through Staff Selection	
		Gazetted)			Commission, crucial date	
					for determining the age	
					limit shall be the last date	
					for receipt of application).	

(8)	(9)	(10)
Not applicable	Two years	By direct recruitment
		Note: vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long
		illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or
		more may be filled on deputation basis from officers of Central Government.

(11)	(12)	(13)
Not applicable	Group 'C' Departmental Confirmation Committee (For considering	Not applicable.
	confirmation) consisting of —	
	—Chairman.	
	(i) Under Secretary, VP Secretariat.	
	—Members.	
	(i) Section Officer, VP Secretariat.	
	(ii) Section Officer or officer of Equivalent rank from outside the	
	Secretariat.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Bearer	4*	General Central	PB-1, 5200-20200	Not applicable	18 to 25 years	(i) 10th Class
	(2014)	Service Group	with Grade Pay of		(relaxable for	pass with a
	*Subject to	'С'	Rs. 1800		Government servants	certificate /
	variation	Non- Ministerial			up to 40 years in	diploma in
	dependent on	(Non-Gazetted)			accordance with the	stewardship from
	workload				instructions or orders	a recognized
					issued by the Central	Instituteor Hotel.
					Government from time	
					to time).	
					Note: Crucial date for	
					deter-mining the age	
					limit shall be the last	
					date up to which the	
					Employment Exchange	
					is asked to submit	
					names.	

(8)	(9)	(10)	
Not applicable	Two years	By direct recruitment	

(11)	(12)	(13)
Not applicable	Group 'C' Departmental Confirmation Committee (For considering	Not applicable.
	confirmation) consisting of —	
	—Chairman.	
	(i) Under Secretary, VP Secretariat.	
	—Members.	
	(i) Section Officer, VP Secretariat.	
	(ii) Section Officer or officer of Equivalent rank from outside the Secretariat.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Masalchi	2*	General Central	PB-1, 5200-20200	Not applicable	18 to 25 years	10 th Class pass
	(2014)	Service Group	with Grade Pay of		(relaxable for Govern-	or equivalent.
	*Subject to	'С'	Rs. 1800		ment servants up to 40	
	variation	Non- Ministerial			years in accordance with	
	dependent on	(Non-Gazetted)			the instructions or orders	
	workload				issued by the Central	

		Government from time	
		to time).	
		Note: Crucial date for	
		determining the age limit	
		shall be the last date up	
		to which the employment	
		Exchange is asked to	
		submit names.	

(8)	(9)	(10)	
Not applicable	Two years	By direct recruitment	

(11)	(12)	(13)
Not applicable	Group 'C' Departmental Confirmation	Not applicable.
	Committee (For considering	
	confirmation) consisting of—	
	—Chairman.	
	(i) Under Secretary, VP Secretariat.	
	—Members.	
	(i) Section Officer, VP Secretariat.	
	(ii) Section Officer or officer of	
	Equivalent rank from outside the	
	Secretariat.	

[F. No. VPS-61/02/2014-Admn.] SWASHPAWAN SINGH, Secy.